म.प्र. राज्य रोजगार गारंटी परिषद्

पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग

59, द्वितीय तल, "सी" ब्लॉक नर्मदा भवन, अरेरा हिल्स, भोपाल (म.प्र.)

क्रमांक / 4059 / NR-3 / 17 / 09 भोपाल, दिनांक 21 / 5 / 2009

प्रति,

- कलेक्टर एवं जिला कार्यक्रम समन्वयक,
- मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं अति. जिला कार्यक्रम समन्वयक,

राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम – मध्यप्रदेश
जिला – समस्त (मध्य प्रदेश)

विषय :– राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम – मध्यप्रदेश के अंतर्गत कपिलधारा उपयोजना के तहत प्रगतिरत्/अपूर्ण कार्यों को वर्षाकाल के पूर्व, पूर्ण करने या सुरक्षित स्थिति में लाये जाने के संबंध में।

संदर्भ :– परिषद् कार्यालय का पत्र क्रं. 2592 / NREGS / Tech-3 / 09 दिनांक 31.03.2009

—00—

संदर्भित पत्र के माध्यम से कपिलधारा उपयोजना के अंतर्गत प्रगतिरत् समस्त कार्यों को 31 मई 2009 तक पूर्ण करने के निर्देश दिये गये हैं।

कपिलधारा उपयोजना के तहत वृहद् पैमाने पर नवीन कूप निर्माण स्वीकृत कर प्रारम्भ कराये जा रहे हैं। उक्त निर्देशों के परिप्रेक्ष्य में सभी प्रगतिरत् कूप निर्माण कार्यों का तत्काल निरीक्षण किया जाकर यह सुनिश्चित् किया जावे, कि प्रगतिरत्/अपूर्ण कार्यों को वर्षाकाल के पूर्व, पूर्ण करने या सुरक्षित स्थिति में लाया जावे, ताकि कूपों को वर्षा से क्षतिग्रस्त होने से बचाया जा सके।

कृपया उपरोक्त निर्देशों का कड़ाई से पालन किया जाना सुनिश्चित् करें।

(रश्मि अरुण शमी)
मुख्य कार्यपालन अधिकारी
म.प्र. राज्य रोजगार गारंटी परिषद
मुख्यालय, भोपाल (म.प्र.)

पृ क्रमांक / 4060 / NR-3 / 17 / 09 भोपाल, दिनांक 21 / 5 / 2009

प्रतिलिपि :–

1. संभागायुक्त (समस्त) संभाग की ओर सूचनार्थ।
2. कार्यपालन यंत्री, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा, (समस्त) सम्भाग .... की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु।
3. कार्यक्रम अधिकारी NREGS (समस्त) जनपद पंचायत की ओर सूचनार्थ।

मुख्य कार्यपालन अधिकारी
म.प्र. राज्य रोजगार गारंटी परिषद
मुख्यालय, भोपाल (म.प्र.)

M:/Jyoti/Letter General-126